

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2118 / 2013 / अजमेर.

अपील संख्या - 2120 / 2013 / अजमेर.

अपील संख्या - 520 / 2015 / अजमेर.

अपील संख्या - 521 / 2015 / अजमेर.

सहायक आयुक्त,  
वाणिज्यिक कर विभाग  
वृत्त-ब्यावर, जिला अजमेर

.....अपीलार्थी.

बनाम  
मैसर्स मित्तल ऑयल मिल्स प्रा.लि.,  
केकडी, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री नत्थूराम-सदस्य  
श्री मदनलाल मालवीय-सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के. जैन व सर्वेश जैन

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.06.2018

निर्णय

1. यह चारों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के पृथक-पृथक आदेश के विरुद्ध धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 की सपठित धारा 9 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		क.नि. आदेश का विवरण		विवादित राशि			विवादित कुल राशि
	अपील संख्या	आदेश दिनांक	आदेश दिनांक	अवधि	अन्तर कर	शास्ति	ब्याज	
2118 / 2013	152 / 12-13	17.06.2013	07.11.2012	2010-11	1,15,851	16,49,766	1,97,972	-
2120 / 2013	154 / 12-13	17.06.2013	07.11.2012	2011-12	1,13,353	7,02,926	42,176	-
520 / 2015	130 / 13-14	24.09.2014	07.08.2013	2010-11	-	-	-	873200
521 / 2015	131 / 13-14	24.09.2014	07.08.2013	2011-12	-	-	-	2,29,542

2. चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. अपील संख्या 2118 / 2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवसायी का सर्वेक्षण दिनांक 04.05.2012 को किया गया। सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में यह पाया गया वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यवहारी कम्पनी द्वारा राशि रूपये 94,65,598/- का अन्तर्राज्यीय विक्रय 0.5 प्रतिशत की दर से सरसो तेल, मूंगफली तेल एवं सरसों खल का किया गया है, जिस पर बिना "सी" फॉर्म के

200

निरन्तर ..... 2

5 प्रतिशत की कर दर से देय था। पत्रावली उपायुक्त (प्रशासन), प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। व्यवसायी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया गया कि व्यवसायी ने राशि रूपये 77,23,425/- की बिक्री के "सी" फॉर्म प्रस्तुत किये है तथा राशि रूपये 17,42,433/- की 0.5 प्रतिशत की बिक्री के कोई "सी" फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यवसायी द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.12.2012 द्वारा बिना "सी" फॉर्म की बिक्री 17,42,433/- पर अन्तर कर 4.5 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 78,409/- तथा "सी" फॉर्म पर 0.5 प्रतिशत की बिक्री राशि रूपये 77,23,425/- पर अन्तर कर 1.5 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 1,15,851/- का कर आरोपित किया। इस प्रकार कुल कर राशि रूपये 1,94,260/- जमा नहीं होने के कारण अन्तर कर पर ब्याज राशि रूपये 46,622/- व अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति राशि रूपये 3,88,520/- आरोपित की गई। इसी प्रकार व्यवसायी द्वारा राशि रूपये 2,10,20,761/- की बिक्री 2 प्रतिशत की दर से "सी" फॉर्म के समर्थन में की गई, जिसमें "सी" फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण 3 प्रतिशत की दर से अन्तर कर राशि रूपये 6,30,623/- व ब्याज राशि रूपये 1,51,350/- आरोपित किया। इस प्रकार व्यवसायी के विरुद्ध राशि रूपये 26,72,621/- की मांग कायम की गई। व्यवसायी द्वारा इस संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 152/12-13/सीएसटी/अजमेर प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 17.06.2013 द्वारा निस्तारित हुई। अपीलीय अधिकारी ने बिना "सी" फॉर्म की बिक्री राशि रूपये 17,42,433/- पर आरोपित 4.5 प्रतिशत से अन्तर कर राशि रूपये 48,409/- एवं राशि रूपये 2,10,20,761/- पर अन्तर कर 3 प्रतिशत की दर से आरोपित कर राशि रूपये 63,06,232/- को यथावत् रखा तथा यह अवधारित किया कि शेष घोषणा पत्र जो व्यवसायी अब पेश करने में असमर्थ था, यदि व्यवसायी उसे अब पेश करने में समर्थ हो तो पेश किये जा सकते है एवं जो कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है, उसे निर्णित करें। अपीलीय अधिकारी ने यह माना किया व्यवसायी कम्पनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 में नई माइक्रो व स्मॉल एन्टरप्राइजेज द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय पर "सी" फॉर्म के तहत 0.25 प्रतिशत कर देय है जो व्याख्या में गलती से 0.5 प्रतिशत वसूला गया है। अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि "सी" फॉर्म पर की गई बिक्री राशि रूपये 77,23,425/- पर 0.25 प्रतिशत कर देय था तथा इस विक्रय राशि पर 1 प्रतिशत अन्तर कर राशि रूपये 1,15,851/- रूपये व ब्याज अविधिक है, जिसे अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करके यह भी निर्देश दिये कि फॉर्म "सी" की बिक्री का अधिनियम के तहत पुनः नये सिरे से कर निर्धारण करे व इन संव्यवहारो पर "सी" फॉर्म पेश कर दिये जाये उन पर 0.25 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाये। विभाग द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध कर बोर्ड में विक्रय राशि रूपये 77,23,425/- पर आरोपित अन्तर कर राशि रूपये 1,15,851/-, शास्ति राशि रूपये 16,49,766/- व ब्याज राशि रूपये 46,622/- के बिन्दु पर कर बोर्ड में अपील संख्या 2118/2013 प्रस्तुत की गई है।

4. अपील संख्या 520/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 152 निर्णय दिनांक 17.06.2013 में प्रतिप्रेषित निर्देशों के क्रम में कर

sm

निरन्तर ..... 3

निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2013 पारित किया गया, जिसकी अपील पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष 130/13-14 व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 24.09.2014 द्वारा निस्तारित हुई। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए शेष बकाया घोषणा पत्रों के संबंध में आयुक्त महोदय के परिपत्र क्रमांक F.16(48)/TAX/CCT/11-12/RT2-1899 दिनांक 21.04.2014 केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन व टर्न ओवर) के नियम 12(7) के तहत पुनः विचार करते हुए आदेश दिनांक 21.06.2013 के परिपेक्ष्य में पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिया। इस अपीलीय आदेश 24.09.2014 के विरुद्ध विभाग द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है कि अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 का लाभ व्यवसायी कम्पनी को नहीं है क्योंकि व्यवसायी की कम्पनी 01.12.1995 से पंजीकृत है, जबकि अधिसूचना का लाभ 14.02.2008 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के बाद स्थापित हुई फर्मों को ही देय है।

5. अपील संख्या 2120/2013 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवसायी का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर का दिनांक 04.12.2012 को किया गया। सर्वेक्षण में व्यवसायी कम्पनी द्वारा राशि रूपये 1,28,38,637/- का अन्तर्राज्यीय 0.5 प्रतिशत की कर दर से सरसों तेल व मूंगफली का तेल विक्रय किया गया जबकि बिना "सी" फार्म के 5 प्रतिशत की दर से कर देय था। उपायुक्त प्रशासन प्रतिकरापवंचन राज. जयपुर के आदेश द्वारा पत्रावली कर निर्धारण को स्थानान्तरित की गयी। व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु दिनांक 07.11.2012 द्वारा विक्रय राशि रूपये 52,91,117/- पर बिना सी फार्म 0.5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल कर विक्रय किये जाने के कारण अन्तर कर 4.5 प्रतिशत की कर दर से राशि रूपये 2,38,100/- आरोपित किया। राशि रूपये 75,57,520/- की बिक्री "सी" फार्म पर 0.5 प्रतिशत की कर दर से किये जाने के कारण अन्तर कर 1.5 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 1,13,363/- आरोपित किया। इस प्रकार कुल कर राशि रूपये 3,54,463/- जमा नहीं होने के कारण 12 माह का ब्याज राशि रूपये 42,176/- एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति राशि रूपये 702926/- आरोपित की गयी। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील 154/2012-13 प्रस्तुत की गयी जो निर्णय दिनांक 17.06.2013 द्वारा निर्णित की गयी। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश द्वारा बिना सी फार्म की बिक्री राशि रूपये 52,51,117/- पर 4.5 प्रतिशत से अन्तर कर राशि रूपये 2,38,100/- यथावत रखा। राशि रूपये 75,57,520/- का विक्रय जो "सी" फार्म पर किया गया है, पर 1.5 प्रतिशत की दर से आरोपित अन्तर कर राशि रूपये 11,363/- को इस आधार पर अपास्त किया है कि व्यवहारी कम्पनी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत होने के कारण अन्तर कर आरोपित किया जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत पात्रता रखने व वित्तीय वर्ष 2011-12 के घोषणा पत्र पेश करने हेतु समय व नियम 12(7) का लाभ देने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की गयी। अपीलीय अधिकारी के इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा "सी" फार्म समर्थित बिक्री पर अन्तर कर

राशि रूपये 1,33,353/- को अपास्त करने, शास्ति राशि रूपये 7,02,926/- व ब्याज राशि रूपये 42,176/- को अपास्त करने के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

6. अपील संख्या 521/2015 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.06.2013 जिसके द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, की पालना में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 07.08.2013 पारित किया गया, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 131/13-14 प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 24.02.2014 द्वारा अपील पुनः प्रतिप्रेषित की है। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान सक्षम अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवसायी के विरुद्ध विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह लिया है कि व्यवसायी फर्म वर्ष 1995 से पंजीकृत हैं। अतः इसे दिनांक 14.02.2008 का लाभ प्रदान कर अपीलीय अधिकारी ने कानूनी भूल की हैं। इस आधार पर उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि व्यवसायी युनिट अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत लाभ रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत की पात्रता रखती हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद का निर्माण व विक्रय किया जाता है। वह उद्योग विभाग की अधिसूचना के अनुसार पात्रता रखता है। इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं. 000007 दिनांक 22.12.2008 तथा फार्म क्रमांक 83 जारी दिनांक 12.02.2008 के अनुसार व्यवसायी की फर्म दिनांक 14.02.2008 की अधिसूचना के तहत पात्र मानी गई है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

10. उन्होंने आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी की वर्ष 10-11 एवं 11-12 की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 2 प्रतिशत से करारोपण किया है। इसके अलावा "सी" फार्म के अभाव में 5 प्रतिशत से वैट कर एवं ब्याज आरोपित किया है। कर निर्धारण अधिकारी का मत था कि चूंकि व्यवसायी ने 2 प्रतिशत की CST की बिक्री को 0.50 प्रतिशत कर दर वसूल कर कर राशि जमा कराई है। अतः कम कर दर से कर अदा करने के कारण करापवंचन का प्रकरण बनाते हुए धारा 61 में शास्ति आरोपित की गई है, जो अपास्तनीय हैं।

11. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2013 द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत पात्रता रखने एवं 2010-11 एवं 2011-12 के घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियम 12(7) of CST Act का लाभ देने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है :-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या- एफ.12(99)एफडी/टैक्स/07-66 दिनांक 14.02.2008 में यह व्यवस्था दी गई कि - "नई माइक्रो व स्माल एन्टरप्राइजेज हेतु अन्तरराज्यीय विक्रय कर दर 0.25 प्रतिशत" होना बताया जिसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है -

In exercise of the powers conferred by sub-section(5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956(Central Act No. 74 of 1956). The State government being of the opinion that it is expedient In the public Interest so to do, hereby directs that tax payable under said Act by a [ registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or after 14-02-2008 for setting up of enterprise,] during the period he enjoys Status of Micro and Small enterprise (but not being a medium enterprise) as defined in the Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 206 (Act No 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the State, in the course of inter-State trade or commerce shall be calculated at the rate of 0.25%.

12. व्यवसायी ने उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार Micro & Small Industry के तहत विक्रय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 0.50 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया है। इस बिन्दु पर प्रकरण में पूर्व अपील आदेश दिनांक 17.06.2013 में यह निर्णित किया है कि इस अधिसूचना के तहत देय कर 0.25 प्रतिशत थी किन्तु व्यवसायी ने यह समझा कि 2 प्रतिशत के स्थान पर इसके द्वारा 0.25 प्रतिशत वसूला है। अतः "सी" फार्म पर 2 प्रतिशत के स्थान पर इसके द्वारा 0.5 प्रतिशत वसूल किया गया। इस राशि में से "सी" फार्म पेश कर दिया है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को इस अधिसूचना के तहत पात्रता नहीं मानते हुए अन्तर कर 1.50 प्रतिशत आरोपित किया, जो एक विधिक भूल है। अन्त में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

13. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड पत्रावलियों का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवसायी द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के अनुसार Micro & Small Industry के तहत विक्रय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 0.50 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया है। सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसायी को इस अधिसूचना के तहत पात्रता नहीं मानते हुए अन्तर कर 1.50 प्रतिशत आरोपित किया, जो कि अनुचित एवं तथ्यों के विपरीत है। चूंकि व्यवसायी ने समस्त बिक्री पर 0.50 प्रतिशत से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया है तो इसी बिक्री पर पुनः 2 प्रतिशत से करारोपण किया जाना अविधिक है। व्यवसायी युनिट अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के तहत लाभ (रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत) की पात्रता रखती है, क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद का निर्माण व विक्रय किया जाता है। वह उद्योग विभाग की अधिसूचना के अनुसार पात्रता रखता है। इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं. 000007 दिनांक 22.12.2008 तथा फार्म क्रमांक 83 जारी दिनांक 12.02.2008 के अनुसार व्यवसायी की फार्म दिनांक 14.02.2008 की अधिसूचना के तहत पात्र मानी गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2013 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि व्यवसायी की अन्तरराज्यीय विक्रय पर 0.25 प्रतिशत से अधिसूचना

दिनांक 14.02.2008 का लाभ देते हुए करारोपण किया जावे एवं अधिक वसूल 0.25 प्रतिशत को जब्त किया जावे। इस प्रकार उक्त अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

14. इस संबंध में पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि व्यवसायी पूर्व से ही पंजीकृत व्यवहारी है, परन्तु उसने पुरानी ऑयल मिल को बंद करके दिनांक 14.02.2008 की अधिसूचना के पश्चात् नया प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित की हैं, अर्थात् न्यू एंटरप्राइजेज स्थापित किया गया हैं। दिनांक 14.02.2008 के पश्चात् ऑयल मिल की स्थापना हेतु खरीद किये प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय बिल इसका प्रमाण हैं। अपील पत्रावली के पृष्ठ संख्या 65 से लेकर पृष्ठ संख्या 235 तक व्यवसायी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु क्रय किये बिलों की फोटो प्रतियां संलग्न है। अपील पत्रावली 154/2012-13 के इसमें पृष्ठ संख्या 70 पर व्यवसायी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, ब्यावर को लिखा गया पत्र दिनांक 22.12.2010 भी उपलब्ध है जिसमें व्यवसायी ने विभाग को सूचित करते हुए अपनी यूनिट को नोटिफिकेशन दिनांक 14.02.2008 के तहत पात्र होना बताया है इस प्रकार रिकॉर्ड से विधित होता है कि व्यवसायी ने नये प्लान्ट एवं मशीनरी का दिनांक 14.02.2008 के बाद स्थापना करके उत्पादन दिनांक 29.03.2009 से प्रारम्भ होना बताया। जिसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत की गई है तथा उद्योग विभाग अजमेर से जारी प्रमाण-पत्र संख्या 000007 दिनांक 22.12.2008 तथा फार्म क्रमांक 83 जारी दिनांक 12.02.2008 के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत जमा कराने का हकदार हैं। अतः विभाग द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत की गई समस्त अपीलें बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

15. अपीलीय अधिकारी के द्वारा उपरोक्त समस्त प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की हैं अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती हैं। जहां तक CST में कर दर के बिन्दु पर धारा 61 में शास्ति का प्रश्न है वह अपास्त करने योग्य हैं। जैसा कि अपीलीय अधिकारी ने किया है क्यों कि व्यवसायी की समस्त खरीद-बिक्री के सव्यवहार उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं। केवल कर दर के बिन्दु पर विवाद होने के कारण धारा 61 में शास्ति आरोपणीय नहीं हैं। इस संबंध में श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के अनुसरण में धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया गया।

16. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

( नत्थूराम )  
सदस्य